न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या	रजिस्टर्ड नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
16/88/2025	2025/108	06.03.2025	26.05.2025

1. सरकार जरिये तहसीलदार थानागाजी, जिला अलवर राज०।

–प्रार्थी

बनाम

1. नानगाराम पुत्र रामधन जाति मीणा निवासी काबलीगढ़ तहसील थानागाजी, जिला अलवर।

–अप्रार्थी

अपील प्रार्थना पत्र जेर नियम 14 (4) भू–आवंटन नियम, 1970

उपस्थितः–
01–श्री दीपक मीणा, राजकीय अभिभाषक –वकील प्रार्थी
02–श्री भगवत राम कोली –वकील अप्रार्थी

–:निर्णयः–

तहसीलदार थानागाजी ने जरिये राजकीय अभिभाषक यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–14 (4) भूमि आवंटन आदेश जिसके द्वारा अप्रार्थी के पक्ष में ग्राम काबलीगढ़ तहसील थानागाजी, जिला अलवर की आराजी खसरा न0 383 रकबा 0.76 है0 किस्म बारानी–तृतीय भूमि का आंवटन किया गया, से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है। प्रार्थना पत्र 14 (4) दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये कोर्ट नोटिस तलब किया गया।

प्रार्थी की ओर से विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का बामनवास अप्रार्थी को भू–आवंटन कमेटी द्वारा दिनांक 17.12.1975 को आराजी खसरा नंबर 383 रकबा 0.76 है0 किस्म बारानी–तृतीय वाके ग्राम काबलीगढ़ तहसील थानागाजी जिला अलवर की आराजी आवंटित की गयी थी। आवंटी के कोई वारिसान नहीं है, आवंटी नाऔलाद फौत (कंवारा) हो गया तथा उक्त आराजी आज भी गैर खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त खसरा नंबर में नकल खसरा गिरदावरी संवत 2035 से 2072 तक में कोई फसल दर्ज नहीं है, पड़त भूमि दर्ज है। आवंटी नाऔलाद फौत होने से मौके पर आदिनांक तक कब्जा नहीं है ना ही वक्त आवंटन कब्जा था। आवंटी द्वारा आवंटन की शर्तो की पालना नहीं की गई है।

अतः श्रीमान की सेवा में यह प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है अप्रार्थी को आराजी खसरा नंबर 383 रकबा 0.76 है0 किस्म बारानी–तृतीय वाके ग्राम काबलीगढ़ तहसील थानागाजी जिला अलवर की भूमि का आवंटन किया गया था, उसे निरस्त फरमाया जावे। श्रीमान की अति कृपा होगी।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया। प्रार्थी द्वारा कथन किया है कि विवादित आवंटित उक्त आराजी पर अप्रार्थी का कभी कोई कब्जा व काश्त नहीं होने तथा मौका जॉच किये बिना अप्रार्थी को उक्त आराजी आवंटित कर दी गई। आराजी खसरा न0 383 रकबा 0.76 है0 वाके ग्राम काबलीगढ तहसील थानागाजी जिला अलवर अप्रार्थी को वास्ते कृषि कार्य के लिए आवंटन किया गया था। आराजी ख.नं. आराजी खसरा न0 383 रकबा 0.76 है0 वाके ग्राम काबलीगढ़ गैर खातेदार नानगराम पुत्र रामधन जाति मीना सा0 देह गैर खातेदार के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। अप्रार्थी के

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

भाई ने जरिय अधिवक्ता एक शपथ पेश कर कथन किया है कि आवंटी नानगाराम उसका सगा भाई था जिसका देहान्त हो चुका है वह अविवाहित था जिसके कोई संतान नहीं थी और वह मेरे पास ही रहता था। उसके देहान्त के बाद से उक्त अलोटशुदा आराजी पर काबिज हूं। पटवारी हल्का बामनवास चौगान की मौका पर्चा अनुसार ग्राम काबलीगढ़ के ख0नं0 383 मौके पर गैर मुमकिन राडा है जिस पर श्मशान बना हुआ है। आवंटी नानगाराम पुत्र रामधन जाति मीना फौत हो चुका है जिसके कोई भी जायज वारिस नहीं है। आराजी ख0नं0 383 पर आवंटी का कब्जा काश्त नहीं है। उपरोक्त भूमि आवंटन होने के बाद आवंटन की शर्तों के मुताबिक अप्रार्थी द्वारा उसकी पालना नहीं की गई है ना ही आवंटी का आवंटन के समय से कब्जा रहा है एवं ना ही मुताबिक पटवारी मौका पर्चा अनुसार अप्रार्थी के वारिसान का कब्जा काश्त रहा है। पटवारी हल्का बामनवास चौगान की मौका पर्चा रिपोर्ट दिनांक 26.12.2024 से स्पष्ट है कि उक्त आराजी पर मौके पर आवंटी/अप्रार्थी गैर खातेदार का कोई कब्जा काश्त नहीं है। इससे स्पष्ट है कि अप्रार्थी द्वारा उक्त भूमि को आवंटन होने के बाद काम में नहीं लिया गया है। अप्रार्थी द्वारा राजस्थान कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के नियमों की पालना नहीं की गई है। प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र नियम 14(4) भू0आवंटन नियम 1970 स्वीकार योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय का आवंटन आदेश निरस्त योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र नियम 14(4) भू0आवंटन नियम 1970 स्वीकार किया जाता है एवं अप्रार्थी को आवंटित की गई उक्त आराजी खसरा न0 383 रकबा 0.76 है0 वाके ग्राम काबलीगढ तहसील थानागाजी जिला अलवर के आवंटन आदेश को निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील जमा लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 26.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अलवर (राज0)

(मुकेश कुमार कायथवाल)
अति0 जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर, (राज0)